

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करें: कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं, कई मामलों का मौके पर समाधान

पीपुल्स प्रवक्ता बैतूल।

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। प्रातः 11 बजे से शुरू हुई इस जनसुनवाई में जिलेभर से आए लोगों ने राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें प्रस्तुत कीं। कलेक्टर ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, जबकि शेष प्रकरणों के लिए समय-समया निधारित करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान चिचोली निवासी अजय खरुसना ने निजी भूमि पर फसल नष्ट किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार चिचोली को पुलिस के समन्वय से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं, घोड़ाडोंगरी निवासी मालतीराव की सीमांकन संबंधी शिकायत पर



तहसीलदार घोड़ाडोंगरी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। **खसरा रिकॉर्ड सुधार के निर्देश:** आमला तहसील के ग्राम बोड़खी निवासी अल्पना बामने द्वारा खसरा रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर

कलेक्टर ने भैंसदेही एसडीएम को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसी प्रकार, मुलताई तहसील के ग्राम सूखाखेडी निवासी झनक सिंह द्वारा भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग पर तहसीलदार मुलताई को जांच कर कार्रवाई करने को

कहा गया। आवासीय पट्टा एवं अन्य समस्याओं पर कार्रवाई: हमलापुर निवासी जमुना विश्वकर्मा ने आवासीय पट्टा की मांग रखी, जिस पर एसडीएम बैतूल को जांच के निर्देश दिए गए। ग्राम कुडई निवासी नकुल ने गंभीर मरीज के उपचार हेतु आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) तथा श्रम विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। सोनाघाटी निवासी कमला पंडाणे ने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध न होने की शिकायत की, जिस पर एसडीएम शाहपुर को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं, बैतूल निवासी रविंद्र चौकीकर द्वारा खेत तक पहुंच मार्ग की समस्या उठाने पर तहसीलदार आमला को मौके पर जांच कर समाधान करने को कहा गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन की संवेदनशील कार्यवाही, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पहुंचाई गई त्वरित राहत

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मिली आर्थिक सहायता

पीपुल्स प्रवक्ता बनखेडी।

जिला से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान योजना के अंतर्गत जिले में विगत दिनों हुई दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि जिले में हाल ही में नर्मदापुरमडूपपरिया स्टेट हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ त्वरित राहत कार्यवाही की गई है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार मृतक एवं घायलों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के तहत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर वितरण सुनिश्चित किया गया।

तहसीलदार माखनगर श्री सुनील गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम आंचलखेड़ा, माखनगर मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में मृत एवं घायल हुए व्यक्तियों के परिजनों को राहत प्रदान की गई। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान



के अंतर्गत मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये, गंभीर घायलों को 1 लाख रुपये तथा अन्य घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई। उन्होंने बताया कि स्वीकृत पत्र ग्राम महेन्द्रबाड़ी

पहुंचकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रभावित परिवारों को वितरित किए गए। जिला प्रशासन की इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही से पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है।

खबर संक्षेप

7 मई से अनुतीर्ण एवं अंक सुधार हेतु परीक्षा में बैठ रहे विद्यार्थियों

दमोह। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय वर्ष 2026 की परीक्षा में बैठ रहे छात्र-छात्राओं की नियमित विशेष कक्षाओं के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, विषय शिक्षक विद्यार्थियों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार से कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, प्रतिदिन विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थी विद्यालय पहुंचकर अपनी कठिन अवधारणाओं का समाधान शिक्षकों से करते हैं। विषय शिक्षकों को अपना परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु भी यह एक अच्छा अवसर है, जिसके माध्यम से वह अपने विषय का परीक्षा परिणाम सुधारेंगे। एमएलबी पथरिया, शासकीय हाई स्कूल इटवा हीरालाल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारुतल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांदकपुर सहित अनेक विद्यालयों में इस तरह की कक्षाओं का नियमित संचालन किया जा रहा है।

फर्जी इंटरग्राम आईडी बनाकर युवक के नाम से ठगी का प्रयास, पुलिस में की शिकायत

तेंदूखेड़ा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगने एवं धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक आकाश साहू, निवासी बाढ़ क्रमांक 08, विद्यानगर तेंदूखेड़ा द्वारा थाना तेंदूखेड़ा में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत में बताया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके नाम एवं फोटो का दुरुपयोग करते हुए इंटरग्राम पर "prince_sahu_08" नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई है। उक्त आईडी के माध्यम से उनके परिचितों एवं अन्य लोगों को मैसैज भेजकर पैसे की मांग की जा रही है। इस कृत्य से न केवल उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि लोगों के साख उठी होने की संभावना भी बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना तेंदूखेड़ा पुलिस द्वारा शिकायत पर संज्ञान लिया गया है तथा प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित फर्जी आईडी की तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साइबर सेल की मदद से उक्त आईडी को शीघ्र हटवाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर प्राप्त सदिधय मैसैज या पैसों की मांग पर तुरंत विश्वास न करें तथा किसी भी प्रकार का लेन-देन करने से पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे संपर्क कर पुष्टि अवश्य करें।

करंट लगने से 3 वर्षीय मासूम की मौत

हटा। थाना क्षेत्र अंतर्गत सोजना गांव में सोमवार दोपहर एक तीन वर्षीय मासूम की कूलर से करंट लगने से मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए हटा सिविल अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, सोजना निवासी तीन वर्षीय मोक्ष पुत्र शम्भन सिंह लोधी सोमवार दोपहर नहाकर आया था। इसी दौरान उसने घर में चल रहे लोहे के कूलर को छू लिया, जिससे उसे करंट लग गया। मासूम के चिखने पर परिजनों ने तत्काल कूलर बंद किया और बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के इयूटी डॉक्टर महिपाल चौधरी ने बताया कि तीन वर्षीय बालक को कूलर का करंट लगने के बाद अस्पताल लाया गया था। जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी।

बजरंग घाट में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 33 घायल

खैरा से 1 किमी आगे अनियंत्रित वाहन पलटा, महाराष्ट्र के श्रद्धालु हुए हादसे का शिकार

पीपुल्स प्रवक्ता दामजीपुरा।

खैरा क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर आगे स्थित बजरंग घाट में सोमवार रात्रि एक भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरा एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वाहन में करीब 40 लोग सवार थे, जिनमें से 33 यात्री घायल हो गए, जबकि एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी यात्री गुप्तवाड़ा से पूजा-अर्चना कर महाराष्ट्र के भोंडीलावा गांव लौट रहे थे। इसी दौरान घाट के घुमावदार मार्ग पर चालक का संतुलन बिगड़ने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

एक की मौत, कई गंभीर: भीमपुर के बीएमओ डॉ. दीपक निगवाल के अनुसार, हादसे में भुखला पिता बाटू (उम्र 60 वर्ष) की मृत्यु हो गई। कुल 33 घायलों में से 15 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य का उपचार भीमपुर स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।

मौके पर मची अफरा-तफरी: हादसे



के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल यात्रियों की चीख-पुकार से घाट क्षेत्र गुंज उठा। कई यात्री वाहन में फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

पुलिस और ग्रामीणों ने सभाला

इलाज कर रही है। गंभीर घायलों को विशेष निगरानी में रखा गया है और बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही सामने: प्रारंभिक जांच में वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

प्रशासन की अपील: घटना के बाद प्रशासन ने घाट एवं घुमावदार मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार से बचने की भी सलाह दी गई है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: बजरंग घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने घाट क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

जनगणना 2027 का प्रथम चरण सफल, प्रगणक प्रियांश पाठक 5 दिनों में कार्य पूर्ण कर हुए सम्मानित

दमोह। नगर पालिका परिषद दमोह अंतर्गत संचालित जनगणना 2027 के प्रथम चरण (भवन एवं मकान सूचीकरण कार्य) में सर्किल क्रमांक 188-225, सर्किल-36 (स्लम एरिया) का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य को प्रगणक प्रियांश पाठक द्वारा अत्यंत तत्परता, लगन एवं दक्षता के साथ मात्र 5 दिनों में पूर्ण किया जाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। सीमित समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन का यह उदाहरण अन्य प्रगणकों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरा है। श्री पाठक की इस उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें जनगणना कंट्रोल रूम, मानस भवन में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला जनगणना अधिकारी मीना मस्रम, जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी अलका दास, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र सिंह लोधी तथा जनगणना निदेशालय भोपाल की जिला प्रभारी मोना चौहान उपस्थित रही। नगर पालिका परिषद दमोह द्वारा श्री प्रियांश पाठक के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही अन्य सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे भी इसी प्रकार जिम्मेदारी, तत्परता एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे जनगणना 2027 का कार्य समयबद्ध एवं सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।

कॉलेज चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू, घर-घर जाकर विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रेरित

पीपुल्स प्रवक्ता जवेरा ।

जवेरा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'कॉलेज चलो अभियान' के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार सत्र 2026-27 के लिए यह अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें शासकीय महाविद्यालय जवेरा द्वारा व्यापक स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है।

महाविद्यालय के प्राचार्य मोहित कुमार पांडेय ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और छात्रहितैषी बनाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं। इसके तहत कॉलेज में प्रवेश सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां प्रशिक्षित ऑपरेटर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही तकनीकी सहायता के लिए विभागीय हेल्पलाइन नंबर 8000063632 और टोल-फ्री नंबर 18000808399 का भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों की टीमों गठित की गई हैं। ये टीमें गांव-गांव और शहरी बाड़ों में

जाकर ऐसे विद्यार्थियों को पहचान करेंगे, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। हर छात्र कॉलेज तक-के संदेश के साथ स्वयंसेवक घर-घर जाकर विद्यार्थियों को देबारा उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा, विद्यार्थियों को विषय चयन (मेजर, माइनर और बहु-संकाय) में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए एक समर्पित कार्सलिंग टीम भी बनाई गई है। अभियान के तहत डिजिटल पंजीयन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को दृक्कूड1दृक्कूड मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को विशेष प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्राचार्य मोहित कुमार पांडेय ने क्षेत्र के अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे इस अभियान को अधिकतम लाभ उठाएं और समय पर अपना पंजीयन सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त होता है- प्रधान जिला न्यायाधीश

नेशनल लोक अदालत के प्रचार वाहन को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया रवाना

पीपुल्स प्रवक्ता दमोह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष सुभाष सोलंकी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के कुशल मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में 09 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ ही विद्युत चरपीट एवं नगरपालिका के जलकर, समर्पण कर के प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक

अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विद्युत व नगरपालिका दमोह के समन्वय से प्रचार-प्रसार वाहन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सोलंकी द्वारा न्यायालय परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत उदय सिंह मरावी सहित

कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुभाष सोलंकी ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त होता है। वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 09 मई 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन के माध्यम से लोक अदालत के लाभ एवं विभागों द्वारा प्रदान की जा रही छूट की जानकारी आमजन तक पहुंचाये जाने हेतु आज प्रचार वाहन रवाना किये गये हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नेशनल लोक अदालत का प्रचार करेंगे जिससे लोक समुदाय अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु संपूर्ण जिले में 20 खंडपीठों का गठन किया गया है।

